

‘गलित्गति-बाल्टसितान’ को प्रान्तीय दर्जा

प्रलिमिन्स के लिये

गलित्गति-बाल्टसितान की भौगोलिक अवस्थिति

मेन्स के लिये

गलित्गति-बाल्टसितान विवाद और प्रान्तीय दर्जे के नहितारथ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकसितानी अधिकारियों ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण ‘गलित्गति-बाल्टसितान’ को अनन्तमि प्रान्तीय दर्जा देने के लिये एक कानून (26वें संविधान संशोधन विधियक) को अन्तमि रूप दिया है।



प्रमुख बदि

गलित्गति-बाल्टसितान के विषय में

- गलित्गति-बाल्टसितान भारत के विवादित क्षेत्रों में से एक है।
- यह केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के उत्तर-पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊँचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है।
- पाकसितान, अफगानसितान और चीन के साथ सीमा साझा करने के कारण इसे रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

गलित्गति-बाल्टसितान विवाद की पृष्ठभूमि:

- इस क्षेत्र पर भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है, क्योंकि यह वर्ष 1947 में जम्मू-कश्मीर के भारत में प्रवेश के समय अस्तित्व में था।
 - जम्मू-कश्मीर के अन्तमि डोगरा शासक महाराजा हरसिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारत के साथ ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ पर हस्ताक्षर किये थे।
- हालाँकि 04 नवंबर, 1947 को कबायली हमलावरों और पाकसितानी सेना द्वारा कश्मीर पर किये गए आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकसितान के नियंत्रण में है।

- इसके पश्चात् भारत ने 01 जनवरी, 1948 को पाकसि्तानी आक्रमण के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष उठाया।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पाकसि्तान से जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने और भारत से अपनी सेना को न्यूनतम स्तर तक कम करने का आह्वान किया गया, इसके पश्चात् लोगों का मत जानने के लिये जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था।
- हालाँकि दोनों ही देशों द्वारा वापसी नहीं की गई, जो कि दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है।

वर्तमान स्थिति:

- गलितगति-बाल्टसि्तान अब एक **स्वायत्त क्षेत्र** है और वधियक पारित होने के बाद यह **देश का 5वाँ प्रांत** बन जाएगा।
 - वर्तमान समय में पाकसि्तान में चार प्रांत हैं, बलूचसि्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सधि।
- वर्तमान में यह अधिकांशतः **कार्यकारी आदेशों द्वारा शासित** है।
- वर्ष 2009 तक इस क्षेत्र को केवल **उत्तरी क्षेत्र** कहा जाता था।
- इसे वर्तमान नाम **गलितगति-बाल्टसि्तान (सशक्तीकरण और स्व-शासन) आदेश, 2009** के लागू होने के साथ मिला, जिसने उत्तरी क्षेत्र विधानपरिषद (Northern Areas Legislative Council) को विधानसभा (Legislative Assembly) में बदल दिया।

गलितगति-बाल्टसि्तान को प्रांत बनाने का कारण:

- गलितगति-बाल्टसि्तान पाकसि्तान द्वारा प्रशासित सबसे उत्तरी क्षेत्र है। यह पाकसि्तान की एकमात्र प्रादेशिक सीमा है तथा चीन के साथ एक स्थल मार्ग है।
 - गलितगति-बाल्टसि्तान क्षेत्र 65 अरब अमेरिकी डॉलर की **चीन-पाक आर्थिक गलियारा** (CPEC) अवसंरचना विकास योजना का केंद्रबिंदु है।
 - CPEC ने इस क्षेत्र को दोनों देशों के लिये महत्त्वपूर्ण बना दिया है। CPEC जो पाकसि्तान के बलूचसि्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट को चीन के झजियांग प्रांत से जोड़ता है, चीन की महत्त्वाकांक्षी बहु-अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिवि (BRI) की प्रमुख परियोजना है।
- भारत-पाकसि्तान संबंधों को लेकर कुछ विशेषज्ञ यह दावा भी प्रस्तुत करते हैं कि पाकसि्तान का यह निर्णय 5 अगस्त, 2019 को किये गये **जम्मू-कश्मीर के पुनर्र्गठन** के बाद भारत द्वारा अपना दावा प्रस्तुत करने के कारण भी हो सकता है।

भारत का रुख:

- भारत का कहना है कि पाकसि्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध रूप से उसके द्वारा जबरन कब्जा किये गए क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।
 - भारत ने पाकसि्तान को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश, जिसमें गलितगति और बाल्टसि्तान के क्षेत्र भी शामिल हैं, पूरी तरह से कानूनी व अपरविर्तनीय परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग हैं।
 - CPEC को लेकर भारत ने चीन के सामने वरिध जताया है क्योंकि यह पाकसि्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है।

स्रोत: द हद्दि